204

न्यायालय- राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर ~~अपर कलेक्टर महोदय, भिण्ड म0प्र0,~~

प्र0क्र0 /2015 नि0मा. निगरानी 2175-I-15

1. डब्बूसिंह उर्फ कौशलिन्द्रसिंह पुत्र सुमेर सिंह

उम्र 28वर्ष,

2. देवेन्द्र सिंह पुत्र कल्लूसिंह उम्र 40 वर्ष,

निवासीगण बार्ड0क्र0 5 कस्बा मिहोना, तह0

मिहोना, जिला-भिण्ड म0प्र0 -- आवेदकगण,

विरुद्ध,

1. छोटेलाल पुत्र सुखपाल राठौर उम्र वर्ष,

निवासी- बार्ड0क्र0 4 खितौली मिहोना तह0

मिहोना, जिला-भिण्ड म0प्र0,

--मूल आवेदक,

2. हरनारायण पुत्र बुधू निवासी- बार्ड0क्र0 4

खितौली मिहोना, जिला-भिण्ड म0प्र0,

-- अनावेदकगण,

भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुभाग लहार जिला-भिण्ड व्दारा 120/2011-12 अ.माल में पारित आदेश दिनांक 15.4.2015 जिसमें

नामान्तरण निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु

कार्यवाही में लिया गया है, से उद्भूत निगरानी ।

(margin notes:) दिवाकर दीक्षित एड. 13-7-15

दिवाकर दीक्षित एड. द्वारा आज दि. 13-7-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

डब्बू सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2175/एक/2015 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.7.16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग लहार जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 120/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख की नामान्तरण पंजी क्रमांक 28 दिनांक 05.05.2012 आदेश दिनांक 20.06.2012 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग लहार जिला भिण्ड के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 15.04.2015 को स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु वापिस किया गया इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं इसलिये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। 4– आवेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा	

अपने तर्को में बताया कि उनके द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से भूमि सर्वे नं. 464 मिन रकवा 0.282 है0 में से उसका सम्पूर्ण भाग 0.036 है0 यानि 52×75=39 वर्गफीट पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2011 से विधिवत् रूप से क्रय किया गया था तथा विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात् सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 28 दिनांक 05.05.2012 आदेश दिनांक 20.06.2012 से अनावेदक क्रमांक 2 के स्थान पर आवेदकगण का नामान्तरण किया गया था। जिसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो स्वीकार कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया है जबकि व्यक्ति विशेष लाभ के लिये प्रकरण का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग लहार के आदेश को निरस्त कर पंजी क्रमांक 28 दिनांक 05.05.2012 आदेश दिनांक 20.06.2012 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

5– आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया था विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है और वर्तमान प्रकरण में विक्रय पत्र निरस्त किये जाने का कोई जानकारी इस न्यायालय में नहीं दी गयी है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरण आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही है। राजस्व न्यायालयों का वैधानिक कर्तव्य है

कि वह पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करें। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक भूल की है क्योंकि व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये प्रकरण का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 1984 आर.एन. 22 एवं 1982 आर.एन. 224 में जो न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है उसपर विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया है अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग लहार जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 120/2011-12 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख की नामान्तरण पंजी क्रमांक 28 दिनांक 05.05.2012 आदेश दिनांक 20.06.2012 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य